डॉ0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद (उ0प्र0)

एम0एड्0 प्रवेश परीक्षा–2011 के सन्दर्भ में प्रवेश हेतु आयोजित द्वितीय चरण की काउंसिलिंग से संबंधित सूचना

एम0एड्0 प्रवेश परीक्षा–2011 के घोषित परिणाम के संदर्भ में सत्र 2011–12 के लिए प्रवेश हेतु द्वितीय चरण की काउंसिलिंग विश्वविद्यालय परिसर स्थित ''**भौतिकी एवं इलेक्ट्रानिकी विभाग**'' में दिनांक 24 फरवरी, 2012 से 27 फरवरी, 2012 तक सम्पन्न होगी। काउंसिलिंग कार्यक्रम का विस्तृत विवरण निम्नांकित है :–

काउंसिलिग की तिथि	रैंक विवरण
24 फरवरी, 2012	संयुक्त रैंक 201 से 500 तक के केवल **सामान्य वर्ग** (GENERAL) के अभ्यर्थी
25 फरवरी, 2012	संयुक्त रैंक 301 से 650 तक के केवल **अन्य पिछड़ा वर्ग** (OBC) के अभ्यर्थी
26 फरवरी, 2012	1. संयुक्त रैंक 501 से 1350 तक की **सामान्य वर्ग** (GENERAL) की केवल **महिला अभ्यर्थी**
	2. संयुक्त रैंक 651 से 1350 तक की **अन्य पिछड़ा वर्ग** (OBC) की केवल **महिला अभ्यर्थी**
	3. संयुक्त रैंक 1701 से 3500 तक की **अनुसूचित जाति वर्ग** (SC) की केवल **महिला अभ्यर्थी**
27 फरवरी, 2012	1. संयुक्त रैंक 1401 से 2500 तक के **अनुसूचित जाति वर्ग** (SC) के केवल **पुरुष अभ्यर्थी**
	2. संयुक्त रैंक 1401 से 4000 तक के केवल **अनुसूचित जनजाति वर्ग** (ST) के अभ्यर्थी
	3. **विशेष आरक्षित वर्ग** (विकलांग/सेवा निवृत्ति सैन्य कर्मी/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी/कारगिल शहीद/काश्मीर विस्थापित) के अन्तर्गत अनुक्रमांक 30240, 30241, 30502, 30746, 31257, 31329, 31658, 31960, 32162, 32265, 32377, 32724, 32972, 32992, 33219, 33482, 33760, 34054, 34140, 34526, 34886 के अभ्यर्थी

उपरोक्त तालिका में अंकित संयुक्त रैंक के अनुक्रम में अभ्यर्थियों को काउंसलिंग पत्र 14 फरवरी, 2012 तक साधारण डाक द्वारा प्रेषित किए जा चुके हैं। यदि तालिका में अंकित रैंक से संबंधित किसी अभ्यर्थी को निर्धारित तिथि तक काउंसलिंग पत्र प्राप्त नही होता है, तो वह निम्नलिखित अभिलेखेां/प्रमाण पत्रों के साथ निम्नांकित सूचनाओं से अवगत होते हुये निर्धारित तिथि पर काउंसलिंग में उपस्थित हो सकता है।

1 आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए गए प्रमाण पत्रों से सम्बन्धित समस्त मूल प्रमाण–पत्रों यथा–शैक्षिक, आरक्षण, जाति एवं आय इत्यादि की मूल प्रतियां तथा इनका स्वहस्ताक्षरित एवं प्रमाणित छायाप्रतियों का एक सेट।

2 स्वयं की फोटो की दो प्रतियां जिनके पीछे अपना नाम व पता लिखा होना चाहिए।

3 विश्वविद्यालय की प्रवेश सूचना के ''**महत्वपूर्ण सूचनायें/निर्देशों**'' के बिन्दु–C के अनुसार ऐसे अभ्यर्थी जो आवेदन भरने की तिथि को अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण नही हुए थे तथा मात्र उसमें Appear हुए थे। उन अभ्यर्थियों को काउंसिलिंग तिथि को अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण होने की अंकतालिका प्रस्तुत करना अनिवार्य है अन्यथा उनके प्रवेश पर विचार नही किया जायेगा तथा उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

4 काउंसिलिंग के समय अभ्यर्थी को नकद रु0 250/– (रु0 दो सौ पचास मात्र) काउंसिलिंग शुल्क फीस काउण्टर पर जमा करना होगा।

5 **(i) सक्षम अधिकारी (तहसीलदार/उप जिलाधिकारी) द्वारा निर्गत नवीनतम जाति प्रमाण पत्र तथा आय प्रमाण पत्र (जो पिछले छः माह के अन्दर जारी किया गया हो)। जाति प्रमाण पत्र आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु अनिवार्य है। (ii) यदि अभ्यर्थी क्षैतिज आरक्षण का Claimnant (दावेदार) है तो उक्त के संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र। इस प्रमाण पत्र के अभाव में क्षैतिज आरक्षण का लाभ देय नही होगा।**

6 यदि आप किसी संस्था/कार्यालय में कार्यरत हों तो उस संस्था/कार्यालय से अध्ययन हेतु प्रदत्त अवकाश प्रमाण पत्र व अनुमति प्रमाण पत्र की मूल प्रति साथ लायें।

7 **अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग मेरिट क्रमांक के क्रम मे होगी। रिक्त सीटों की संख्या से लगभग तीन गुना छात्रों को काउन्सिलिंग हेतु बुलाया गया है अतः आपका प्रवेश आपके वर्ग में सीटों की उपलब्धता के सापेक्ष ही सुनिश्चित हो सकेगा।**

8 **सीटें रिक्त न रहने की दशा में प्रवेश दिया जाना सम्भव नही होगा।**

9 अभ्यर्थियों को काउंसिलिंग के समय महाविद्यालय आवंटन हेतु विकल्प पत्र भरना होगा। अभ्यर्थियों को महाविद्यालय का आवंटन अभ्यर्थियों की अर्हकारी प्रवेश परीक्षा की मेरिट तथा उनके द्वारा भरे गए विकल्प के अनुसार होगा।

10 काउंसिलिंग के उपरांत अभ्यर्थियों को आवंटित महाविद्यालय की सूची एक सप्ताह में विश्वविद्यालय की वेबसाइट **www.rmlau.ac.in** पर उपलब्ध करा दी जायेगी। वेबसाइट पर उपलब्ध एलाटमेन्ट सूची में उल्लिखित महाविद्यालय मे अभ्यर्थी को निर्धारित अवधि में प्रवेश प्राप्त करना होगा।

11 **अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी को निर्धारित तिथि एवं समय पर वांछित सभी अभिलेखों व काउंसिलिंग शुल्क के साथ स्वयं उपस्थित होना होगा। इसमें किसी प्रकार की छूट अनुमन्य नही है।** विलम्ब से उपस्थित होने पर अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी को प्रवेश न मिलने का कोई दायित्व विश्वविद्यालय का नहीं होगा। स्वयं काउंसिलिंग हेतु उपस्थित नही होने वाले अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन या प्रवेश दावे पर विचार नही किया जायेगा तथा उनका अभ्यर्थन स्वतः निरस्त माना जायेगा। काउंसिलिंग हेतु स्वयं उपस्थित नहीं होने वाले अभ्यर्थियों का कोई प्रत्यावेदन विचारणीय नही होगा।

12 अभ्यर्थी को यह स्वयं सुनिश्चित करना है कि आवेदन पत्र में उसके द्वारा उल्लिखित सभी तथ्य तथा संलग्न किए गए अभिलेख पूर्णतया सही है। विश्वविद्यालय द्वारा इसकी जांच कराये जाने पर यदि कोई प्रमाण पत्र/तथ्य गलत पाया जाएगा तो अभ्यर्थी का प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा तथा अभ्यर्थी के विरुद्व यथोचित वैधानिक कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

13. अभ्यर्थी को रु0 10/– के Non Judicial के Stamp paper पर निम्न आशय का Notarized शपथ पत्र काउंसिलिंग के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है :–

<u>शपथ पत्र का प्रारुप</u>

मैं ....पुत्र/पुत्री श्री ....निवासी... ....एतदद्वारा शपथपूर्वक घोषणा करता हूं कि मैने डॉ0 आर0एम0एल0 अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद में एम0एड0 प्रवेश–2011 हेतु आवेदन पत्र में जो भी अभिलेख संलग्न किए हैं वह सत्य हैं। किसी स्तर पर मेरे द्वारा प्रस्तुत किए गए किसी अभिलेख के असत्य/कूटरचित पाये जाने पर मेरा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाये तथा इसके परिणामस्वरुप विश्वविद्यालय द्वारा की जाने वाली वैधानिक कार्यवाही मुझे स्वीकार्य होगी। अभ्यर्थन निरस्तीकरण के विरुद्व मैं किसी स्तर पर कोई दावा नहीं करूंगा तथा मैं विश्वविद्यालय को प्रत्येक प्रकार/स्थिति से Indemnify करता हूं।

दिनांक :

पूर्ण पठनीय हस्ताक्षर

नाम :

पिता का नाम :

अनुक्रमांक :

मोबाईल नं0 :

14. अभ्यर्थीगण इस पत्र के प्रत्येक बिन्दु को अत्यन्त सावधानी से पढ़कर कार्यवाही सुनिश्चित करें ताकि वह असुविधा से बच सकें।

15. पोस्टल विलम्ब के लिए विश्वविद्यालय उत्तरदायी नही होगा।

एस0के0 शुक्ल
कुल सचिव